

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीषियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015-16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने ग्राम आगवाड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बरान 994, 998, 999, 1009, 1007, 1005 में होता हुआ ढाणी मंगलकावाली से ग्राम भूदौली की और जाने वाले रास्ते का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना बताया गया है। ग्राम पंचायत का मांग पत्र प्रस्ताव व खातेदारों का सहमति प्रति की फोटो प्रति एवं रास्ते के फोटो ग्राफ संलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता कई वर्षों से एवं बारहमासी रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गैरमुद्रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

